रोहतक में एडवोकेट नवीन सिंघल निलंबित: भ्रामक संदेश बनाकर वायरल करने का आरोप, बार काउंसिल चुनाव में नहीं डाल सकेंगे वोट

रोहतक 15 दिन पहले



एडवोकेट नवीन कुमार सिंघल, जिन्हें भारतीय बार परिषद की अनुशासनात्मक समिति ने निलंबित किया।

रोहतक में बार काउंसिल चुनाव के बीच एक वकील पर कार्रवाई की गई है। भारतीय बार परिषद (BCI) की अनुशासनात्मक समिति ने एडवोकेट नवीन कुमार सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर सोशल मीडिया के जरिए चुनावी माहौल बिगाड़ने और एक महिला अधिवक्ता की छवि को धूमिल करने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले में 2 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी।

पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन विजेंद्र अहलावत ने बताया कि वकील नवीन कुमार सिंघल ने योजना के तहत षड्यंत्र और उकसावे के तहत जानबूझकर भ्रामक संदेश तैयार करवाए और उन्हें व्हाट्सएप, सोशल मीडिया समूहों पर वायरल कर दिया। दुर्भावनापूर्ण ढंग से किसी की छवि को धूमिल करने के लिए मनगढ़ंत सामग्री को साझा करके उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई।

विजेंद्र अहलावत ने बताया कि मतदाताओं और आम जनता को गुमराह करके चुनाव प्रक्रिया को गैरकानूनी रूप से प्रभावित करने का प्रयास किया। नवीन कुमार सिंघल ने जानबूझकर, दुर्भावनापूर्ण ढंग से ऐसा किया। जिसके कारण उन्हें किसी भी प्रकार का वरीयता मत नहीं दिया जा सकता। इस बारे में नवीन सिंघल से बात करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।



एडवोकेट विजेंद्र अहलावत, पूर्व चेयरमैन, बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

मतदाताओं को गुमराह करने का किया प्रयास

विजेंद्र अहलावत ने आरोप लगाया बताया कि एडवोकेट नवीन ने बार-बार गलत संदेशों को स्पैम करना, उत्पीड़न और जनता एवं मतदाताओं को गुमराह करने का जानबूझकर प्रयास किया। साथ ही अनुचित प्रभाव डालना, मानहानि करना, किसी साथी वकील और चुनावी लाभ के लिए उम्मीदवार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। जिससे संवेदनशील बार काउंसिल चुनाव के दौरान सद्भाव/भाईचारा भंग हो रहा है।

नवीन सिंघल के निलंबन बारे बार एसोसिएशन को किया सूचित विजेंद्र अहलावत ने बताया कि एडवोकेट नवीन सिंघल को भारतीय बार परिषद की अनुशासनात्मक समिति की तरफ निलंबित किया गया है। इसके बारे में सभी अदालतों, जज व मंचों को सूचित किया गया है। साथ ही बार एसोसिएशन को भी इसके बारे में बताया गया है।

2 अप्रैल को हाइब्रिड मोड में होगी सुनवाई

एडवोकेट विजेंद्र अहलावत ने बताया कि एडवोकेट नवीन कुमार सिंघल को नोटिस जारी किया गया। इसके बाद भी वह गलत संदेशों को स्पैम फॉरवर्ड या शेयर करना जारी रखते हैं, तो परिषद इसे गंभीरता से लेगी। मामले की सुनवाई 2 अप्रैल को हाइब्रिड